न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रेक) डीग

प्रकरण संख्याः– 245/2010 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2010/00006), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. सावित्री विधवा गोविन्दा – मृतक
   - 1/1. जमना
   - 1/2. निर्मला
   - 1/3. रज्जन
   - 1/4. दुलारी

   } पुत्रियां गोविन्दा
2. पूरन
3. गिरधारी

} पिस0 गोविन्दा

} जातियान ब्राह्मण नि0 ग्राम नगला खोह तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

1. कुंवरलाल पुत्र रमचन्दी
   - 1/1. जगन्नाथ
   - 1/2. निरोत्तम
   - 1/3. पंकज
   - 1/4. जगमोहन
   - 1/5. विमला
   - 1/6. कल्लो
   - 1/7. निर्मला उर्फ निम्मा
   - 1/8. सीमा

   } पुत्रियां कुंवरपाल
2. मोहनश्याम पुत्र नत्थी
3. कल्लो पत्नी नैमचन्द
4. ओमप्रकाश
5. मोतीराम
6. रोशनलाल

} पिस0 नैमचन्द

} जातियान ब्राह्मण नि0 ग्राम नगला खोह तह0डीग

7. कुन्दन सिंह पुत्र देवला जाति गूजर नि0 ग्राम खोह तहसील डीग
8. लक्ष्मीनारायन सेकेटरी पुत्र नामालुम जाति जाट नि0 हाल ग्राम खोह तहसील डीग
9. शाखा प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा खोह तहसील डीग
10. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीग
11. तहसीलदार तहसील डीग

–प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांकः 24.02.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 3313/0.01, 3314/0.15, 3274/0.12, 3275/0.42, 3431/0.17 वाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है। साविक खसरा नम्बर 3381/3–08 वाके ग्राम नगला खोह वादीगण के पिता गोविन्दा के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा रहा है। गोविन्दा की मृत्यु होने के पश्चात वादीगण व हिस्सा बरावर काविज काश्त है। उक्त साविक खसरा नम्बर 3381/3–08 के बदले में दौराने भू–प्रबंध हाल खसरा नम्बर 3431/0.17, 3434/0.31 निर्मित किये है जिनका रकबा साविक के मुकावले 0.06 हैक्टेयर कम आया है। साविक खसरा नम्बर 1811/0.14 प्रति0 संख्या 1 कुंवरपाल की खातेदारी का है जिसका नई माप में 0.11 हैक्टेयर रकबा होता है। जिसके दौराने भू–प्रबंध हाल खसरा नम्बर 3313/0.01, 3314/0.15, में बदला गया है। साविक के मुकावले 0.05 हैक्टेयर रकबा प्रति0 संख्या 1 को वेशी आया है। भु–प्रबंध विभाग ने प्रति0 संख्या 1 से मिलकर गलत तौर पर वादीगण की खातेदारी का 0.05 हैक्टेयर रकबा हाल खसरा नम्बर 3313/0.01 सालिम तथा खसरा नम्बर 3314/0.15 के दक्षिणी हिस्सा 4/15 में शामिल करके रास्ता आम नक्शा अक्स में उक्त नम्बरान के दक्षिण की ओर कर दिया है। जबकि आज भी रास्ता आम मौके पर प्रति0 संख्या 1 के हाल खसरा नम्बर 3314 के रकबा 0.11 हैक्टेयर के पश्चात दक्षिण की ओर कायम है तथा रास्ता आम के पश्चात दक्षिण की ओर वादीगण का साविक खसरा नम्बर 3381/3–8, का भाग गलत तौर पर रास्ता में शामिल करते हुए हाल खसरा नम्बर 3314/0.15 में हिस्सा 4/15 एवं खसरा नम्बर 3313/0.01 सालिम प्रति0 संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज करते हुए बन्दोवस्ती नक्शा अक्स में रास्ता आम को गलत तौर पर वादीगण की आराजी की ओर बढा दिया है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त गलत इन्द्राज व नक्शा अक्स मौके के विपरीत निर्मित किया है जिसका उनको अधिकार नहीं है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3314/0.15 के दक्षिणी हिस्सा 4/15 व आराजी खसरा नम्बर 3313/0.01 सालिम का वादीगण व हिस्सा बरावर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने तथा इसी प्रकार से साविक नक्शा अक्स के अनुसार रास्ता को हाल नक्शा अक्स में दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। साविक खसरा नम्बर 3376/2–7 वादीगण के पिता व पति गोविन्दा के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा रहा है जिसका नई माप में रकबा 0.37 हैक्टेयर होता है। दौराने भू–प्रबंध सैटिलमेंट विभाग जिसको नवीन खसरा नम्बर 3277/0.20, 3278/0.11 रकबा 0.31 हैक्टे0 में बदला है लेकिन साविक नम्बरान में रकबा के मुकाबले वादीगण का 0.06 हैक्टेयर रकबा कम आया है जबकि इन्हीं नम्बरान से सटा हुआ साविक खसरा नम्बर 3377/3–2 प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 की खातेदारी का रहा है साविक खसरा नम्बर 3337/3–2 के बदले में दौराने भू–प्रबंध हाल खसरा नम्बर 3274/0.12, 3275/0.42 निर्मित हुए है जिसका रकबा साविक के मुकावले 0.04 हैक्टेयर वेशी है। उक्त गलती भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 से मिलाकर बिना किसी अधिकार के खिलाफ मौका व कब्जा व रिकार्ड के भी है। वादीगण का 0.04 हैक्टेयर रकबा हाल आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 3274/0.12 में 0.2 हैक्टेयर तथा आराजी खसरा नम्बर 3275/0.42 में 0.02 हैक्टे0 शामिल हुआ है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3274/0.12 के हिस्सा 2/12 तथा खसरा नम्बर 3275/0.42 के हिस्सा 2/42 पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण वाहिस्सा बरावर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 3314/0.15 के दक्षिणी हिस्सा 4/15 व खसरा नम्बर 3313/0.01 सालिम पर वादीगण संख्या 01 लगायत 3 व हिस्सा बरावर के काबिज काश्त है इसी अनुरूप उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण को व हिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार फरमाया जाकर प्रति0 संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा नक्शा अक्स हाल को साविक नक्शा के अनुसार दुरूस्त फरमाया जावे। साविक रकबा के मुकाबिले रकबा की कमी पूर्ति की जावे तथा आराजी खसरा नम्बर 3274/0.12 के हिस्सा 2/12 तथा खसरा नम्बर 3275/0.42 के हिस्सा 2/42 पर वादीगण व हिस्सा बरावर के काबिज काश्त है इसी अनुरूप वादीगण को उक्त आराजी के हिस्सा पर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 का नाम कलमजन किया जावे एवं रास्ता आम को हाल नक्शा अक्स में दुरूस्त कर साविक खसरा नम्बर 1811/0–14 के नक्शा के मुताविक दर्ज कराया जावे तथा हाल खसरा नम्बर 3314/0.11मिन के वगल में होकर कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 24.11.2010 को प्रति0 संख्या 01 लगायत 7 बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 29.12.2010 को अधिवक्ता मूलचन्द जैन द्वारा 1 लगायत 7 की ओर से उपस्थित हुए। दिनांक 24.11.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. प्रस्तुत दिनांक 29.12.2010 पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रति0 संख्या 01 की ओर से दिनांक 02.04.2012 को जबाव दावा पेश किया गया। दिनांक 04.04.2014 को प्रतिवादीगण 11 ने जबाव दावा पेश किया। प्रति0 संख्या 9 की विधिवत तामील प्राप्त हुई जिस पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 04.04.2014 को दावे में निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण विवादित आराजी पर विवादित आराजी बावत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?
3. आया वादीगण ने दावे के तथ्यों का साबित करने हेतु पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है?
4. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में वादी गिरधारी पीडब्ल्यू–1 दिनांक 23.03.2017 को बयान पंजीबद्व किये गये। वादीगण के द्वारा दिनांक 20.04.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 7(14)नियम 3 जा.दी. पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 17.05.2017 को प्रति0 वकील ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 27.09.2017 को प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7(14)नियम 3 जा.दी. पर बहस सुनी जाकर रूपये 50/–कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया गया। वादीगण के द्वारा आगे साक्ष्य नहीं कराये जाने/इन्कार करने पर साक्ष्य वादीगण दिनांक 08.11.2017को बंद की गई। दिनांक 22.03.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 19.04.2018 को प्रति0 संख्या 1 मृतक के वारिसान की ओर से श्री मूलचन्द जैन अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 21.05.2018 को वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्ग आदेश 22 नियम 4 जा.दी. पेश किये गये। जोकि दिनांक 27.02.2020 को स्वीकार किये गये। दिनांक 22.03.2021 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। साक्ष्य प्रति0 में वकील प्रति0 ने प्रति0 प्रेमचन्द पुत्र कुंवरपाल के डीडब्ल्यू–1 में दिनांक 14.05.2024 को बयान पंजीवद्व कराये गये। दिनांक 12.06.2024को साक्ष्य प्रति0 में प्रकाश का शपथ पत्र पेश किया गया। दिनांक 02.07.2024 को प्रकाश पुत्र सोहनलाल के डीडब्ल्यू–2 में बयान पंजीबद्व किये गये तथा आगे साक्ष्य प्रति0 नहीं कराये जाने पर दिनांक 23.10. 2024 को साक्ष्य प्रति0 बन्द किये गये।

दिनांक 24.02.2025 को वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण ने बहस में कथन किया कि मैने भू–प्रबंध दुरूस्ती के लिए दावा पेश किया है। वादपत्र की मद संख्या 3 को पढा,मद संख्या 4 को पढा, मद संख्या 9 अ व 9(ब)के अनुसार दादरसी चाहते है। दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रति0 ने अपने जबाव दावा की मद संख्या 1 को पढा,इन्होंने दो खसरा नम्बर अपने बताये है। खसरा नम्बर 3431/0.17, 3434/0.31,मेरे खसरा नम्बर 3313/0.01 व 3314/0.15 है। इनके वाद पत्र की मद संख्या 3 को पढा जावे। इनके खसरा नम्बर के बीच में आम रास्ता है जो खसरा नम्बर 3291 है। इनके हाल खसरा नम्बर अलग साविक खसरा नम्बर से मेरे हाल खसरा नम्बर पृथक साविक खसरा नम्बर से बने है। मेरे व इनके खसरा नम्बर के बीच में तो रास्ता है। मेरा हाल खसरा नम्बर 3313/0.01 जोकि एक कूआ है। खसरा नम्बर 3314 बहुत पीछे है। मेरे मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करें,भू–प्रबंध विभाग ने मौके पर कब्जे के आधार पर बनाया है। न्यायालय ने कब्जे के सम्बन्ध में तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। मेरे गवाह डीडब्ल्यू–1 प्रेमचन्द व डीडब्ल्यू–2 प्रकाश की जिरह का अवलोकन करलें इनका दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने वादीगण के वादपत्र,प्रति0 के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू–1 गिरधारी,डीडब्ल्यू–1 प्रेमचन्द, डीडब्ल्यू–2 प्रकाश एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः–

तनकी संख्याः–1, आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्शः–1, जमाबन्दी सम्बत 2064–2067 हाल खसरा नम्बर 3431 रकबा 0.17, 3434 रकबा 0.31 वाके ग्राम नगला खोह वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी के नम्बरान है। जिनका कुल रकबा 48 एअर बनता है। भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 प्रदर्श–3 के अनुसार उक्त हाल खसरा नम्बर 3431/0.17 साविक खसरा नम्बर 3381मिन 3 वीघा 8 विस्वा, 3434/0.31 साविक खसरा नम्बर 3381मिन से बने है। साविक खसरा नम्बर 3381मिन रकबा 3 वीघा 8 विस्वा प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्बत 2027 से 2030 वादीगण की खातेदारी का है। जमाबन्दी के इन्द्राजों में वादीगण खातेदारों के ही नाम है। साविक खसरा नम्बर 3381 मिन रकबा 3 वीघा 8 विस्वा का नई पैमाईश से रकबा 54.4 ऐअर बनता है। अर्थात वादीगण का रकबा साविक के मुकावले 6 ऐअर कम आया है।

प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2067 हाल खसरा नम्बर 3313 रकबा 0.01 किस्म गै.मु. चाह, 3314 रकबा 0.15 प्रतिवादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर है। जिनका कुल रकबा 16 एअर बनता है। प्रदर्श–3 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 3313 रकबा 0.01, 3314 रकबा 0.15 साविक खसरा नम्बर 1811 रकबा 14 विस्वा से बने है। प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्बत 2027 से 2030 साविक खसरा नम्बर 1811 रकबा 14 विस्वा वादीगणों के ही नाम था जिसका नई पैमाईश से रकबा 11.2 एअर बनता है। दौराने भू–प्रबंध साविक खसरा नम्बर 1811 रकबा 14 विस्वा से बने नये हाल खसरा नम्बर 3313/0.01, 3314/0.15 कुल रकबा 16 एअर में 5 एअर रकबा वेशी कर प्रतिवादीगण के नाम किया गया है। भू–प्रबंध विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर गलत तौर पर वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 3431/0.17, 3434/31 साविक खसरा नम्बर 3381/3वीघा 8 विस्वा के 5 एअर रकबे को प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बर 3313/0.01, सालिम व 3314/0.15 के दक्षिणी हिस्सा 4/15 में शामिल करके रास्ता आम नक्शा अक्स में उक्त नम्बरान के दक्षिण की ओर कर दिया है। जबकि आज भी रास्ता आम मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 के हाल आराजी खसरा नम्बर 3314 के रकबा 0.1 के पश्चात दक्षिण की ओर कायम है तथा रास्ता आम के पश्चात दक्षिण की ओर वादीगण का साविक खसरा नम्बर 3381 रकबा 3 वीघा 8 विस्वा का भाग गलत तौर पर रास्ता में शामिल करते हुए हाल खसरा नम्बर 3314/0.15 में हिस्सा 4/15 एवं खसरा नम्बर 3313/0.01 सालिम प्रति0 संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज करते हुए बन्दोवस्ती नक्शा अक्स में रास्ता आम की गलत तौर पर वादीगण की आराजी की ओर बढा दिया है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त गलत इन्द्राज नक्सा अक्स मौके के विपरीत निर्मित किया है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। जिसकी बजह हाल खसरा नम्बर 3314/0.15 के दक्षिणी हिस्सा 4/15 व आराजी खसरा नम्बर 3313/0.01 सालिम का वादीगण व हिस्सा बरावर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करा पाने तथा साविक नक्शा अक्स के अनुसार रास्ता को हाल नक्शा अक्श में दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है।

प्रदर्श–9, नक्शा किश्तवार सम्बत 2033 ग्राम खोह में वादीगण के खसरा नम्बर हाल 3431 व 3434 एवं प्रति0 के हाल खसरा नम्बर 3313 व 3314 की आकृति का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 3313 जोकि कुआ है। खसरा नम्बर 3314 व प्रति0 के खसरा नम्बर 3431 वादीगण के बीच आम रास्ता दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

है। उभय पक्ष के खसरा नम्बर एक दूसरे से सटे हुए है। 3434 प्रति0 के खसरा नम्बर 3314 व 3313 को स्पर्श नहीं करता है दूर है।

प्रदर्श–11, साविक नक्शा सम्बत 1982 में वादीगण के साविक खसरा नम्बर 3381 एवं प्रति0 के साविक खसरा नम्बर 1811 का अवलोकन किया गया। दोनों खसरा नम्बर के बीच रास्ता है। वादीगण के साविक खसरा नम्बर 3381 की आकृति जो प्रदर्श 11 पर है। हाल नक्शे प्रदर्श–9 हाल खसरा नम्बर 3431, 3434 में कमी की गई है। जबकि प्रति0 के प्रदर्श–11 पर साविक नक्शे में साविक खसरा नम्बर 1811 की आकृति प्रति0 के हाल खसरा नम्बर 3313 व 3314 की आकृति रकबे को बढा दिया गया है। दोनों नक्शे प्रदर्श–9 व प्रदर्श–11 में वादीगण व प्रति0 के खसरा नम्बर के बीच आम रास्ता है। वादीगण प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर के मिलान क्षेत्रफल से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रति0 के हाल खसरा नम्बर का रकबा बढाया गया है।

प्रतिवादीगण का कथन है कि भू–प्रबंध ने कब्जे के आधार पर नक्शा बनाया है। कब्जे के सम्बन्ध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। उक्त खसरा नम्बर के सम्बन्ध में वादीगण घोषणा स्वीकार की जाती है।

प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2067 वादीगण के हाल खसरा नम्बर 3277 रकबा 0.20, 3278 रकबा 0.11 वादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी है। जिसका कुल रकबा 31 एअर होता है। प्रदर्श–4 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 3177 रकबा 0.20 साविक खसरा नम्बर 3376मिन से बनना प्रदर्शित है। प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्बत 2027 से 2030 में साविक खसरा नम्बर 3376 रकबा 2 वीघा 7 विस्वा वादीगण संख्या 1 के पति के नाम दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 3376 रकबा 2 वीघा 7 विस्वा नई पैमाईश से रकबा 37.6 एअर बनता है। जबकि वादी संख्या 1 साविक खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बरान का कुल रकबा 31 एअर है। इस तरह साविक के मुकावले वादीगण का 6 एअर रकबा कम आया है। जबकि इन्हीं नम्बरान से सटे हुए प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 के प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2067 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 3274 रकबा 0.12, 3275 रकबा 0.42 खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

प्रदर्श–4 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 हाल खसरा नम्बर 3274/0.12 व 3275/0.42 साविक खसरा नम्बर 3377मिन रकबा 3 वीघा 2 विस्वा से बनना प्रदर्शित है। साविक खसरा नम्बर 3377 मिन रकबा 3 वीघा 2 विस्वा नई पैमाईश से रकबा 49.6 एअर बनता है। जबकि प्रति0 के इसी साविक खसरा नम्बर 3377 रकबा 2 वीघा 3 विस्वा से बने हाल खसरा नम्बर 3274/0.12, 3275/0.42 का कुल रकबा 54 एअर बनता है। इस प्रकार प्रति0 का साविक के मुकावले रकबा 4 एअर वेशी हुआ है। उक्त गलती भू–प्रबंध विभाग द्वारा प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 से मिलकर बिना किसी अधिकार के खिलाफ मौका व कब्जा व रिकार्ड के की है। वादीगण का 4 एअर रकबा हाल आराजी खसरा नम्बर 3274/0.12 मे 2 एअर तथा 3275/0.42 में 2 एअर शामिल हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 के हाल आराजी खसरा नम्बर 3274/0.12 के हिस्सा 2/12 तथा खसरा नम्बर 3275/0.42 के हिस्सा 2/42 पर राजस्व रिकार्ड में वाउीगण वहिस्सा बरावर अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

हमने प्रदर्श–10, नक्शा किश्तवार ग्राम खोह सम्बत 2033 में वादीगण के हाल खसरा नम्बर 3277 व 3278 तथा प्रति0 के हाल खसरा नम्बर 3274 व 3275 की आकृति का अवलोकन किया। वादी संख्या 1 प्रति0 के हाल खसरा नम्बर एक दूसरे से सटे है। वादीगण संख्या 1 प्रति0 के साविक खसरा नम्बर 3376 व 3377 का प्रदर्श–11 पर अवलोकन किया। मिलान करने पर हाल व साविक नक्शे में अन्तर प्रदर्शित होता है। साविक नक्शे में खसरा नम्बर 3376 व 3377 दोनों सटे हुए है। जबकि हाल नक्शे में प्रति0 का हाल खसरा नम्बर 3275 तो वादीगण के समान नम्बर है। लेकिन 3274 पृथक नजर आ रहा है। दोनों नक्शों की तुलना करने पर वादीगण का 4 एअर रकबा हाल खसरा नम्बर 3274, 3275 में बढा हुआ प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 की कोई साक्ष्य नहीं है। घोषणा वादीगण स्वीकार योग्य है। तनकी संख्या 1 विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–2, आया वादीगण विवादित आराजी पर विवादित आराजी बावत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। दावा बावत उद्घोषणा तनकी संख्या 1 में स्वीकार किया जा चुका है। तनकी संख्या 2 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–3, आया वादीगण ने दावे के तथ्यों को सावित करने हेतु पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2064–2067, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2067 प्रदर्श–3 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040,प्रदर्श–4 भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्बत 2064 से 2067, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्बत 2028 से 2032 प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्बत 2027 से 2030, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2030, प्रदर्श–9 नक्शा किश्तवार सम्बत 2033 वाके ग्राम खोह,प्रदर्श–10 नक्शा किश्तवार सम्बत 2033 ग्राम खोह प्रदर्श–11 सजरा नक्शा किश्तवार सम्बत 1982 मौजा खाह पेश किये है। जबकि प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य के अलावा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। तनकी संख्या 3 वादीगण क पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्याः–4, दादरसी?

उभय पक्षकार वाद खर्च अपना अपना स्वयं बहन करें।

तनकी संख्या 1,2,3,4 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण स्वत्व घोषणा को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि:—

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बर 3314/0.15 के दक्षिणी हिस्सा 4/15 व खसरा नम्बर 3313/0.01 सालिम पर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 व हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने तथा प्रति0 संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने तथा नक्शा अक्श हाल को साविक नक्शा के अनुसार साविक रकबा के मुकावले रकबा पूर्ति करते हुए दुरूस्त किये जाने तथा आराजी खसरा नम्बर 3274/0.12 के हिस्सा 2/12 तथा खसरा नम्बर 3275/0.42 के हिस्सा 2/42 पर वादीगण वाहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रति0 संख्या 2 लगायत 6 का नाम कलमजन किये जाने तथा रास्ता आम को हाल नक्शा में दुरूस्त कर साविक खसरा नम्बर 1811/0.14 के नक्शा के मुताविक दर्ज कराये जाने तथा हाल खसरा नम्बर 3314/0.11 के बगल में होकर कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
सहायक कलक्टर,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner